Q मुस्लिम विवाह से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by Muslim Marriage

Ans. भारतीय मुसलमानों का बहुसंख्यक भाग अरब देश के अथवा संसार के अन्य किसी भाग के इस्लामी बन्धुओं की अपेक्षा हिन्दुओं से अधिक सादृश्य या समानता रखता है। उन हिन्दुओं ने जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, इस्लाम को मानते हुए भी अपने प्राचीन धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक व्यवहारों का परित्याग नहीं किया।"

विवाह एवं परिवार मुख्य सामाजिक संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं का समाज के आदर्शों तथा नियमों का प्रभाव एवं महत्व जीवन के सभी क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। अतः विवाह और परिवार जैसी मुख्य सामाजिक संस्थाओं पर संबंधित समाज के आदर्शों एवं महत्व का प्रभाव स्वतः ही परिभाषित होता है। यही कारण है कि मुस्लिम विवाह पर मुस्लिम समाज के आदर्शों एवं नियमों की स्पष्ट छाप है। मुस्लिम सामाजिक संस्थाएं इस्लाम समाज के आदर्शों एवं नियमों की स्पष्ट छाप है। मुस्लिम सामाजिक संस्थायें इस्लाम धर्म पर आधारित है और इस्लाम धर्म सनातनी अरबी धर्म का संशोधित रूप है।

अतः आधुनिक मुस्लिम संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवस्थाओं पर प्राचीन अरबी व्यवस्थाओं की स्पष्ट छाया

दिखायी देती है। मुस्लिम विवाह जिसका स्वरूप आज बहुत कुछ बदल चुका है तथा कानून स्थिति में भी परिवर्तन आ चुका है, मूल रूप से प्राचीन अरब समाज में प्रचलित विवाह को उसे कहा जा सकता है। रॉबर्टसन स्मिथ ने प्राचीन अरब समाज में प्रचलित विवाह की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है —

(1) स्त्री की संतान की देखभाल का भार पिता पर होना आवश्यक नहीं था। क्योंकि स्त्री के पति बदलते रहते हैं।

(2) स्त्री अपने पति के चुनाव में स्वतंत्र थी। वह जब चाहे उसे अपने डेरे या तम्बू में बुलाती थी और अपनी मर्जी से इच्छा पूर्ति के बाद बाहर निकाल देती थी।

संतान के पालन पोषण एवं संरक्षण का भार अधिकांश स्त्री के ही नाते रिश्तेदारों को ही उठाना पड़ता है। अरब समाज में प्रचलित विवाह का यह रूप बीना कहलाता है। पारिवारिक जीवन की अस्थिरता एवं अनिश्चितता के कारण बीना विवाह अपना महत्व खो बैठा और उसका स्थान बाल विवाह या अधिपत्य विवाह ने लिया। स्त्री की स्वतंत्रता समाप्त हो गयी। पुरुष की प्रधानता एवं प्रभुसत्ता स्थापित हो गयी।

दूसरा बहुपत्नी विवाह का प्रचलन हो गया। विवाह संबंधि समस्त अधिकार पुरुष पर केन्द्रित हो गये और स्त्रियों की दशा दिन-प्रतिदिन बदतर होती गयी।

परन्तु धीरे-धीरे समय के प्रभाव से उनकी दशा में सुधार होना प्रारंभ हुआ। 1939 के मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम (Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939) के अनुसार स्त्रियों को भी विवाह विच्छेद के अधिकार मिले तथा अन्य भी ऐसी ~~व्यवस्थायें~~ व्यवस्थायें बनी, जिन्होंने पत्नी के हकों को सुरक्षित बनाया। इस प्रकार मुस्लिम विवाह का आधुनिक स्वरूप बहुत कुछ बदल चुका है।

मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है जिसका अर्थ स्त्री-पुरुष का यौनिक समागम है परन्तु यह अर्थ व्यापक नहीं है। वास्तव में मुस्लिम विवाह स्त्री-पुरुष के मध्य होने वाला एक विशेष प्रकार का समझौता है। जिसका उद्देश्य घर बसाना, बच्चों का उत्पादन और उन्हें वैधता प्रदान करना है। यह एक शिवल कानूनी समझौता है।

अमीर अली के शब्दों में, मुस्लिम विवाह एक कानूनी समझौता है जिसके लिए न तो किसी पुरोहित (मुल्ला) की आवश्यकता है और न ही किसी कर्मकाण्ड की।

टैयबा के कथनानुसार, "मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन संबंधों और बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना है तथा समाज के हित में पति-पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है।" डॉ० ए के कपाड़िया के अनुसार "इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधु को भेंट दी जाती है।"

अतः मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं वरन एक समझौता है। इस विवाह की प्रकृति संविदात्मक है जो स्त्री-पुरुष के सहर्ष पारस्परिक सहमति के आधार पर संपादित होता है।

Vijant Kumar Mishra
Asst Prof (Guest Faculty)
Dept of Sociology

Date - 06/07/2021